पुलिस द्वारा अपराधियों को बेचने का सिलसिला जारी

इसी से तो हैं अपराधी बेखौफ़

फ़रीदाबाद (म.मो.) बेखौफ़ हो कर अपराध करने में जुटे अपराधी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अव्वल तो उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं और जो कभी पकड़े भी गये तो पैसे दे कर छूट जायेंगे।

जब से बाटा पुल बना है और खास तौर पर जब से टोल टैक्स वसूली बंद हुई है, इस पुल पर राहजनी की अनेकों वारदात हो चुकी है। रात को अकेला-दुकेला बाइक सवार को रोक कर उसका मोबाइल, घड़ी व नकदी आदि लूट लिये जाने वाला जब कोई बेचारा थाने में जाता या गश्ती पुलिस पार्टी को सूचित करता तो थाना मुजेसर वाले उसे कोतवाली तथा कोतवाली वाले उसे मुजेसर की तरफ़ चलता कर देते, क्योंकि आधे पुल की एक साइड थाना मुजेसर व दूसरी साइड थाना कोतवाली की है। जबकि पूर्वी भाग सारा थाना सेक्टर-7 के अंतर्गत आता है। इसके चलते पुलिस ने कभी भी पुल पर हुई राहजनी का कोई केस दर्ज ही नहीं किया।

लेकिन 22-23 सितंबर की मध्य रात्रि को राहजनी करने वाला एक अपराधी कोतवाली पुलिस के हाथ लग गया जिसे उन्होंने यह कहते हुये मुजेसर पुलिस के (ई) एएसआई विजेन्द्र सिंह जो उस रात गश्त पर था, को सौंप दिया कि यह तुम्हारे इलाके में वारदात कर रहा था। मुजेसर पुलिस ने उससे एक चाकू भी बरामद किया तथा पूछताछ में उसने अपने गिरोह के अन्य साथियों के नाम भी बताये। उसने बताया कि किस तरह से उनका गिरोह चाकू व रॉड के बल पर राहगीरों को लूटते थे तथा पुलिस को आता देख कर एकदम फुर्ती से रेलवे स्टेशन की ओर सीढ़ियों से उतर जाते थे। पूछताछ के दौरान उसके गिरोह ने अनेकों मोबाइल, घड़ियों व नकदी लूटना स्वीकार किया। इसके बताने पर मुजेसर पुलिस पहले विपिन पुत्र भगवान सिंह व उसके चचेरे भाई दीपक जो दोनों एसी नगर निवासी हैं, को पकड़ कर लाई। दो दिन तक पुलिस ने इनसे खूब पूछताछ की। दोनों ने पहले पकड़े अपराधियों द्वारा बताई गई वारदातों की पुष्टि तो की ही, साथ में कुछ अन्य वारदातें भी बताई। इनके बताने पर पुलिस रामनगर निवासी धर्मवीर व हरकेश को तो उठा लाई, लेकिन इन दोनों को किसी ठेकेदार के माध्यम से मोटी रिश्वत ले का पुन: वारदात करने के लिये छोड़ दिया।

माह जून के 1 से 15 के अंक में भी 'पुलिस ने चोरों को तो लूटा ही मालिक भी नहीं बख्शा' शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित किया गया था। इसमें बताया गया था कि किस प्रकार स्क्रेप लोहे से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली चार दिन तक इसी थाने में खड़ी रही थी और चोर चार दिन तक बिना किसी लिखत-पढ़त के हवालात में रह कर, पैसे दे कर अपने घरों को चले गये थे। मामला प्रकाशित हो जाने पर कार्यवाही के नाम पर एक डीएसपी से इन्क्वाइरी के नाम पर लीपापोती करा कर मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया गया। उसी के परिणामस्वरूप मुजेसर थाना पुलिस के तो हौसले बुलंद हैं ही और थानों में इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। थाने से तबादला कर देना या निलंबित कर देना मात्र इस समस्या का हल नहीं हो सकता। जब तक काली भेड़ों को निकाल बाहर नहीं किया जायेगा, तब तक न तो पुलिस विभाग की छवि सुधर सकती है और न ही अपराध एवं अपराधियों को समाप्त किया जा सकता है।

अब अगले दो दिन तक धर्मवीर व हरकेश से पूछताछ का सिलसिला चला। इन्होंने भी अनेकों वारदातों को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें भी मोटी फ़ीस ले कर छोड़ दिया। लेकिन छूटने से पहले वे भी दो नाम और बता गये। ये दोनों इस गिरोह के नये-नये चेले बने थे। इन दोनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सबसे पहले लाये गये और बाद में लाये गये दोनों यानी कुल मिला कर तीन जनों पर मुकदमा बना कर विधिवत गिरफ़्तारी डाल दी। इस तरह कुल सात लोग पकड़ कर लाये गये जिनमें चार मुख्य अपराधी पैसे ले कर छोड़ दिये गये व तीन को बुक कर दिया।

जानकार सूत्र मजे की एक और बात भी बताते हैं कि नियमानुसार (ई) एएसआई विजेन्द्र को मुकदमा दर्ज करने का अधिकार नहीं है। इसलिये एसएचओ ने एक अन्य थानेदार को मुकदमा दर्ज करने को कहा तो उसने यह कह कर कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया कि उससे कराओगे तो वह उन सब को भी शामिल तफ़्तीश करेगा जिन्हें पैसे लेकर छोड़ दिया गया है। लेकिन यह एसएचओ को स्वीकार नहीं था, लिहाज़ा मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही भी (ई) एएसआई विजेन्द्र से ही करा ली गयी।

जानकार बताते हैं कि लगभग हर रात्रि गश्त के दौरान पुलिस गश्ती पार्टी 8-10 राह चलतों को पकड़ कर बिना किसी लिखित-पढ़त के हवालात में बंद कर देती है और दिन में उनसे पैसे वसूल कर छोड़ दिया जाता है। थाने में वैसे बैठाने की अपेक्षा हवालात में बंद करने के बाद पैसे अच्छे मिलते हैं, इसलिये हवालात में बंद किया जाता है, जबकि रपटबंदी लिखे बिना किसी को हवालात में बंद नहीं किया जा सकता और रपट निकासी लिखे बिना उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता।

माह जून के 1 से 15 के अंक में भी 'पुलिस ने चोरों को तो लूटा ही मालिक भी नहीं बख्शा' शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित किया गया था। इसमें बताया गया था कि किस प्रकार स्क्रेप लोहे से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली चार दिन तक इसी थाने में खड़ी रही थी और चोर चार दिन तक बिना किसी लिखत-पढ़त के हवालात में रह कर, पैसे दे कर अपने घरों को चले गये थे। मामला प्रकाशित हो जाने पर कार्यवाही के नाम पर एक डीएसपी से इन्क्वाइरी के नाम पर लीपापोती कराकर मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया गया। उसी के परिणामस्वरूप मुजेसर थाना पुलिस के तो हौसले बुलंद हैं ही और थानों में इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है।

थाने से तबादला कर देना या निलंबित कर देना मात्र इस समस्या का हल नहीं हो सकता। जब तक काली भेड़ों को निकाल बाहर नहीं किया जायेगा, तब तक न तो पुलिस विभाग की छवि सुधर सकती है और न ही अपराध एवं अपराधियों को समाप्त किया जा सकता है।

5000 नये जज आ कर निपटा देंगे सारे मामले

दिल्ली (म.मो.) भारत के कानून एवं न्याय मंत्री वीरप्पा मोइली ने ऐलान किया है कि वे शीघ्र ही 5000 नये जज भर्ती करके मुकदमों की लंबित आयु 15 वर्ष से घटा कर एक वर्ष कर देंगे। दूसरे शब्दों में, जहां अब तक 15-15 वर्षों तक मुकदमें घिसटते रहते हैं अदालतों में, वे दो वर्ष बाद मात्र एक साल में ही निपटा दिये जायेंगे। इसके लिए, वे कहते हैं कि न तो नयी अदालतों की जरूरत है, न ही किसी अतिरिक्त मूलभूत ढांचे की। इसके लिये मौजूदा ढांचे को ही तीन शिफ़्टों में इस्तेमाल करके काम चला लिया जायेगा।

पाठकों को यह याद होगा कि इससे पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश बालाकृष्णन ने पहले 10000 और फ़िर कुछ दिनों के बाद 25000 जजों की कमी घोषित की थी। शायद इसी से कुछ हद तक प्रेरित हो कर मोइली ने 5000 नये जज भर्ती करने की बात सोची है।

रही बात मूलभूत ढांचे की, तो जब मौजूदा जज ही इस ढांचे की कमियों को अपनी ढाल बना कर समय बिता रहे हैं तो नये भर्ती जजों ने क्या करके देना है? वे तो आते ही कोठी, कार, टेलीफ़ोन, स्टाफ़ आदि के लिये आन्दोलन शुरू कर देंगे।

असल बात जो समझने की है, वह न तो मोइली की समझ में आती है, न बालाकृष्णन जी की। दरअसल, ये लोग़ समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहते कि न्यायपालिका की मूल समस्या जजों की कमी नहीं है, बल्कि अधिकांश जजों की कुर्सियों पर बैठाये गये नालायक, कामचोर व भ्रष्ट जज हैं।

यदि सही मायनों में काम करने वाले जज हों तो मौजूदा जजों की संख्या भी जरूरत से कहीं ज्यादा है।

डेंगू और मलेरिया के नाम पर 'खाने-पीने' का अच्छा जुगाड़

फ़रीदाबाद (म.मो.) हर बार की तरह इस बार भी बरसात का मौसम समाप्त होते ही डेंगू और मलेरिया दस्तक देने वाले हैं। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने इनसे निपटने का अच्छा-खासा इंतजाम करना शुरू कर दिया है। बात भी ठीक है - 'प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर।' डेंगू और मलेरिया, दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छरों के काटने से होती हैं। इन मच्छरों के लार्वा गंदे जमे हुये पानी में पनपते हैं। एक बार जब ये सक्रिय हो जाते हैं तो फ़िर महामारी मचा देते हैं और इनकी चपेट में आकर न जाने कितने लोग़ों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर गंदगी नहीं रहे और गंदे जल का जमाव न हो तो इन दोनों बीमारियों के मच्छर पनप नहीं सकते। लेकिन गंदगी की सफ़ाई हो नहीं पाती। कई-कई दिनों तक सड़कों पर से कूड़ा हटाया नहीं जाता। सड़कों के किनारे जहां-तहां जो गड्ढे बन जाते हैं, बरसाती पानी का जमाव वहां हो जाता है और बीमारी पैदा करने वाले मच्छर उनमें पनपने लगते हैं।

देखा जाये तो झुग्गी-झोपड़ी, बस्तियों और उन कॉलोनियों में जहां निम्न आय वर्ग के लोग़ रहते हैं, गंदगी काफ़ी होती है। कुछ झुग्गियां तो ऐसी हैं जो गंदे जल के बीच टापू के समान लगती हैं। यहां मच्छर नहीं फैलेंगे तो और कहां फैलेंगे? नगर निगम ने आज तक ध्यान नहीं दिया कि इस गंदगी और वर्षों से जमे इस गंदे जल का निस्तारण कैसे किया जाये? संभवत: नगर निगम का मानना हो कि उन गंदी बस्तियों में मनुष्य नहीं, पशु बसते हैं तो भी जो पशु पालतू होते हैं, उनके रहने की जगह की साफ़-सफ़ाई की जाती है। झुग्गियों में रहने वाले यदि मनुष्य नहीं, पशु ही हैं तो भी 'पालतू पशु' हैं, क्योंकि किसी न किसी के लिए काम करते हैं। बहरहाल, फ़रीदाबाद में ऐसी झुग्गी बस्तियों की कोई कमी नहीं है। इस विषय की विशेष जानकारी रखने वालों का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा झुग्गी बस्तियां मुंबई में हैं और उसके बाद फ़रीदाबाद का नंबर आता है। इसके अलावा एनआईटी क्षेत्र और इस क्षेत्र से अलग भी दर्जनों कॉलोनियां ऐसी हैं जो निगम की दृष्टि में अनियमित हैं। यानी निगम जो 'सुविधायें' नियमित कॉलोनियों को प्रदान करता है, इन्हें नहीं करेगा। जबकि झुग्गी बस्तियों और अवैध एवं अनियमित कॉलोनियों को बसाने और बढ़ावा देने में उन नेताओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है जो चुनाव में लोग़ों के

पहले बरसात के बाद कॉलोनियों में मच्छर भगाने के लिए दवाओं का छिड़काव आदि कर दिया जाता था, पर इस बार तो निगम ने जरा भी सुध नहीं ली है। कहीं भी दवा का छिड़काव नहीं किया गया है। पता नहीं निगमकर्मियों को क्या हो गया है? क्या छिड़काव करने वाली दवा भी बेच डाली क्या? वैसे डेंगू और मलेरिया ऐसी बीमारियां हैं जिनके नाम पर 'खाने-पीने' का अच्छा जुगाड़ हो जाता है।

वोट हासिल करना चाहते हैं। ये किसी भी खाली जगह को देख कर, भले ही वह किसी की भी हो, रातोंरात झुग्गियां खड़ी करवा देते हैं। जाहिर है, वहां से पानी निकास आदि का कोई जुगाड़ तो बन नहीं पायेगा। अगर वह ज़मीन नगर निगम की है अथवा किसी अन्य एजेंसी की तो वे अगर ज़मीन खाली करवाने गये तो संरक्षण प्राप्त नेताओं के उकसावे पर उनका स्वागत ईंटों और पत्थरों से होता है।

जवाहर कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, बसेलवा कॉलोनी, भूड़ कॉलोनी, संजय कॉलोनी आदि ऐसी कॉलोनी हैं, जिन्हें नगर निगम कोई सुविधा नहीं देता। यद्यपि ये पुरानी बसी हुई कॉलोनियां हैं। थोड़ी-सी बरसात में यह पूरा क्षेत्र जलाशय में तब्दील हो जाता है। सड़कों पर लोग़ डूब-डूब कर आते-जाते हैं। और इसके बाद निचले इलाकों, गड्ढों में बरसाती पानी जमा हो जाता है जो मलेरिया और डेंगू को आमंत्रित करता है। उदाहरण के लिए संजय कॉलोनी की गली नंबर 17,18,19,20 आदि में खाली पड़े प्लॉटों में निगम ने एक तरह से कूड़ा घर बना रखा है। पूरे इलाके का कूड़ा वहीं डाला जाता है जो बरसाती पानी के कारण गंधाने और बजबजाने लगता है। यहां इतने ज्यादा मच्छर पनपते हैं कि उन पर कछुआ छाप और ऑल आऊट का भी कोई असर नहीं होता। परिणाम छोटे-छोटे बच्चे जिनमें रोग की प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती है डेंगू और मलेरिया के आसानी से शिकार बन जाते हैं और इन्हें ईएसआई अस्पतालों अथवा बीके में दिखाने के लिए मर्दों को दिहाड़ी छोड़नी पड़ती है। इन अस्पतालों में चिकित्सा भी आसानी से हो जाये, इसकी कोई गारंटी नहीं। बीके में ब्लड सैंपल ले लेने पर जल्दी रिपोर्ट ही नहीं मिलती। जब तक रिपोर्ट मिली तब तक डॉक्टर ही अपनी सीट से नदारद हो जाते हैं। अब जब डॉक्टर नहीं देखते तो दवा कहां से मिलेगी। कल दुबारा आओ। लंबी लाइन में लगें। डॉक्टर रिपोर्ट देखेंगे और दवा लिख देंगे। दवा की खिड़की पर जाओ। बारी आने पर सस्ती दवायें तो दे दी जायेंगी, महंगी दवायें घोटाला करने के लिए रख ली जायेंगी। आप महंगी दवायें बाहर मार्केट से खरीदें। यह है हाल।

पहले बरसात के बाद कॉलोनियों में मच्छर भगाने के लिए दवाओं का छिड़काव आदि कर दिया जाता था, पर इस बार तो निगम ने जरा भी सुध नहीं ली है। कहीं भी दवा का छिड़काव नहीं किया गया है। पता नहीं निगमकर्मियों को क्या हो गया है? क्या छिड़काव करने वाली दवा भी बेच डाली क्या? वैसे डेंगू और मलेरिया ऐसी बीमारियां हैं जिनके नाम पर 'खाने-पीने' का अच्छा जुगाड़ हो जाता है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06